न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म0प्र0)

प्र.क्र. ——————————/2006—07 पुनःविलोकन

(45)

1—श्रीमती प्रेमवती पुत्री स्व. मंधीर प्रसाद पत्नी श्री सत्यप्राकाश शुक्ला आयु—32वर्ष निवासी—पतेरी निवासी—सतना

2—श्रीमती वेदा पुत्री स्व. मंधीरप्रसाद पत्नी श्री सुदीप कुमार गर्ग आयु—28वर्ष निवासी—महादेवा निवासी—सतना

3—श्रीमती मीना पुत्री स्व. मंधीरप्रसाद पत्नी श्री अशोक कुमार शुक्ला आयु—25 वर्ष निवासी—पहाड़ी निवासी—कटनी

——प्रार्थीगण/पुर्नविलोकनकर्तागण

ब ना म्

1—सतीश कुमार गौतम पुत्र स्व. मांडवीयशरण गौतम आयु—32 वर्ष

2—श्रीमती जगरनिया पत्नी स्व. मांडनीयशरण गौतम आयु—65वर्ष

3—शशिकुमार गौतम पुत्र स्व. मांडनीयशरण गौतम आयु—29वर्ष

4—तुलसा पुत्री स्व. मांडवीयशरण गौतम आयु—45वर्ष

5—उर्मिला पुत्र स्व. मांडवीयशरण गौतम आयु—40वर्ष

6—प्रभा पुत्री स्व. मांडवीयशरण गौतम आयु—35वर्ष

7— सुनीता पुत्री स्व. मांडवीयशरण गौतम आयु—33वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम कोटर तहसील रामपुर बघेलान जिला सतना म0प्र0——प्रतिप्रार्थीगण

श्री ... द्वारा बार वि० ... 1/2/07 ... प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

1/2/07

रजि 218/III/2007

प्रेमवती | श्रीमती वेदा

सलग

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

श्री के० के० द्विवेदी
एड०

प्रकरण कमांक रिव्यू 218/III/02 सलग

ग्वालियर, दिनांक

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आ के हस्ताक्षर
26–05–2016	राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर की समीक्षा बैठक दिनांक 03.05.2016 में माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, द्वारा निर्देशित किया गया है कि पूर्नविलोकन प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत किया जावे । चूँकि पूर्नविलोकन प्रकरण क्रमांक रिव्यू 218/III/02 आवेदक अभि० श्री के० के० द्विवेदी विरूद्ध ..... में सुनवाई हेतु दिनांक 2-9-16 नियत की गई है । जिसे उक्त निर्देशों के प्रकाश में सुनवाई की नवीन दिनांक 28-6-16 नियत की जाती है । पक्षकार /अभिभाषक सूचित हो/टीप करें ।	
	सदस्य	
28.6.16	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक अभिभाषक श्री के० के० द्विवेदी उपस्थित। आवेदक द्वारा रिव्यू प्रकरण में वर्ष 2010 से अनुपस्थित है। यह प्रकरण वर्ष 2002 से लंबित है। ऐसा प्रतीत होता है आवेदक की प्रकरण के संचालन में रुचि नहीं है। अतः प्रकरण अरुचि में निराकृत किया जाता है। अभिलेख बापस करें। प्रकरण स्वतंत्र रिकार्ड हो	